कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता–किशोरपुरा कोटा–09 (राज0), ईमेल:–ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:– 0744–2500194

क्रमांक:एफ13( )एफसीए/समुवसं/2023/ 5241 दिनांक : 17.10.2023

निमित्त,

उप वन संरक्षक
बारां

विषय: Diversion of 4 ha construction of Shahbad to rajpur road.
(Online Proposal No. FP/RJ/ROAD/30083/2017)

प्रसंग: आपका पत्र क्रमांक एफ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/9954 दिनांक 10.10.2023 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन, जयपुर के पत्रांक 7304 दिनांक 23.08.2023 से लगाय गये आक्षेप संख्या 10 एवं 11 हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित प्रतियुत्तर पर आपके द्वारा इस कार्यालय से मार्गदर्शन चाहा गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्रांक एफ 13( )एफसीए/समुवसं/2023/3139 दिनांक 14.06.2023 में उल्लेखित बिन्दु संख्या 7 में आपके द्वारा प्रस्तावित सड़क के दोनों ओर 6 फिट उँची दीवार तथा दोनों क्षेत्रों को जोड़ने एवं 4–5 अण्डरपास के निर्माण के लिए युक्तियुक्त आधार बताने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु आप द्वारा न तो उक्त पत्र की पालना में उक्त आधार बताया गया न ही संदर्भित पत्र में उल्लेख किया गया यदि प्रस्तावित सड़क के दोनों ओर 6 फिट दीवार निर्माण वन्यजीव प्रबन्धन की दृष्टि से किया गया है तो यह वन्यजीव प्रबन्धन के सिद्धान्तों के विपरित है। दीवार निर्माण से वन्यजीवों को स्वछन्द विचरण में बाधा उत्पन्न होती है। अतः इस उदेश्य से दीवार निर्माण उचित नही है। वन्यजीवों के स्वछन्द विचरण हेतु प्रस्तावित सड़क पर उचित स्थानों पर कुछ अण्डरपास दिये जा सकते है जिन्हे आप प्रस्तावित रोड का निरीक्षण कर उक्त स्थलों को प्रस्तावित करें। ये अण्डरपास प्रयोक्ता अभिकरण सड़क निर्माण के दौरान स्वयं अपने खर्चे पर तैयार करावें। इस आशय का उल्लेख अपने स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं अनुशंसा पत्र में करें।

अतः उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन जयपुर के पत्रांक 7308 दिनांक 23.08.2023 में उल्लेखीत बिन्दुओं का बिन्दुवार जवाब तैयार कर शीघ्र भिजवावे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा